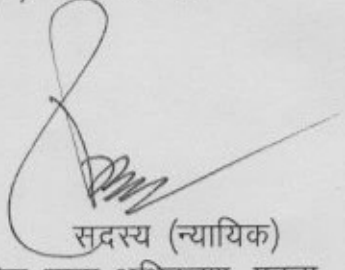


रेल दावा अधिकरण
पटना पीठ
OA(IIu)/PNBE/ 42/2021
धुप नारायण सिंह (Applicant's)
बनाम (versus)

भारत संघ द्वारा महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर (RESPONDENT/S)

Date	Order	Remarks
09.04.25	याची के अधिवक्ता : अनुपस्थित। प्रतिवादी के अधिवक्ता : श्री मिथिलेश कु. सिन्हा उपस्थित। प्रस्तुत प्रकरण याची साक्ष्य के स्तर पर चल रहा था। पिछली तिथि 29.10.2024 को याची पर पुनः नोटिस भेजी जाने के आदेश पारित हुए थे। कार्यालय द्वारा याची पर नोटिस तामिल हो जाने के संबंध में ट्रैक रसीद पत्रावली पर दाखिल की गयी है, जिसके अनुसार याची पर दिनांक 11.03.2025 को नोटिस तामिल हो चुका है, फिर भी याची उपस्थित नहीं हुआ है और न ही याची की कोई साक्ष्य ही पेश की गयी है। विपक्षी अधिवक्ता द्वारा याची साक्ष्य पेश न किये जाने तथा याची की अनुपस्थिति के कारण याचिका खारिज किये जाने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में याची पर नोटिस तामिल हो जाने के बावजूद आज दिनांक 09.04.2025 को न तो याची उपस्थित हुआ और न ही कोई साक्ष्य ही उसने प्रस्तुत की। अतः याची की याचिका उसकी अनुपस्थिति के आधार पर खारिज (Dismissed for default) की जाती है। पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाती है।  सदस्य (न्यायिक) रेल दावा अधिकरण, पटना	